MOHIT
PAPER MILLS LIMITED

Works : 9 Km. Stone, Nagina Road
Bijnor-246 701 (UP) INDIA
Tele : 01342 - 283051
E-mail : mohit.paper@rediffmail.com
info@mohitpaper.in
Website : www.mohitpaper.in
CIN : L21093DL1992PLC116600

To,
The Listing Department,
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai-400 001

Date: 29/05/2024

SCRIP CODE: 530169
SCRIP ID: MOHITPPR

Respected Sir/Madam,

Sub: Intimation of Publication of Financials in News Paper

Pursuant to the Regulation 30, 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, intimation of publication of financials of the Company in News Paper for relevant quarter and year to date ended.
Kindly take the same on record and acknowledge the receipt.

Thanking You,
For Mohit Paper Mills Limited,

Shivam Sharma
Digitally signed by Shivam Sharma
Date: 2024.05.29 13:09:53 +05'30'

Shivam Sharma
Company Secretary
Place: New Delhi
Email: investorsmohitpaper@gmail.com

Encl as above

एम्स के ट्रामा सेंटर में चल रहा घायलों का इलाज

डीटीसी बस ने एक अन्य बस को पीछे से टक्कर मारी, दो घायल

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की एक बस ने मंगलवार को सुबह दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नौरोजी नगर में एक अन्य बस को पीछे से टक्कर मार दी जिसमें दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि आउटर रिंग रोड पर नौरोजी नगर बस स्टैंड में दो डीटीसी बसों की टक्कर के संबंध में सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस थाने को सूचना मिली। उन्होंने बताया कि एक दल को घटनास्थल पर भेजा गया और घायलों को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना उस समय हुई जब आकाश द्वारा चलाई जा रही एक डीटीसी बस नौरोजी नगर बस स्टैंड पर यात्रियों को बैठा रही थी और चांदवीर द्वारा चलाई जा रही डीटीसी की एक अन्य बस ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। पुलिस उपायुक्त (दक्षिणपश्चिम) रोहित मीणा ने बताया कि पश्चिम सागरपुर के दुर्गा पार्क में रहने वाले दो व्यक्तियों मुकेश कुमार और शमशुला को मामूली चोटें आयी हैं और उनका एम्स के ट्रामा सेंटर में उपचार हो रहा है। डीसीपी ने कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

चालकों की भर्ती में नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए

नई दिल्ली। दिल्ली में आए दिन होने वाली इलेक्ट्रिक बसों की दुर्घटनाओं को लेकर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने इन बसों के ऑपरेटरों पर चालकों की भर्ती को लेकर नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए है। संगठन के अध्यक्ष ललित चौधरी व महामंत्री मनोज शर्मा ने बयान जारी कर आरोप लगाए कि इन दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण चालकों की भर्ती में लापरवाही बरतना है। उन्होंने कहा कि आए दिन इलेक्ट्रिक बसों से इस तरह के हादसे दिल्ली में देखने को मिल रहे है। शायद दिल्ली सरकार किसी बहुत बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाए कि निजी बस ऑपरेटर, चालकों की सीधी भर्ती कर लेते हैं।

द्वारकाः तेज रफ्तार ट्रक ने 29 वर्षीय व्यक्ति को कुचला, मौत

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार एक ट्रक ने एक 29 वर्षीय व्यक्ति को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान आकाशदीप के रूप में हुई है। वह द्वारका में रहता था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि द्वारका सेक्टर 23 पुलिस थाने में सुबह आठ बजे इस दुर्घटना के संबंध में फोन आया था जिसके बाद एक टीम को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर एक व्यक्ति बेहोश हालत में मिला। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे

मृत घोषित कर दिया। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, आकाशदीप अपनी रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल से जा रहा था, लेकिन इसी दौरान तेज रफ्तार एक ट्रक ने उसे कुचल दिया और चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। अधिकारी ने कहा कि हमने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और वाहन की भी पहचान कर ली गई है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं।

2020 दंगा मामलाः उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज

एजेंसी नई दिल्ली। राजधानी की कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की कथित बड़ी साजिश मामले में आरोपी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

चन्द्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड
CIN- L51909DL1984PLC019441,
पंजी. कार्यालय : 14, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055
कॉर्पोरेट कार्यालय : 1512, पंद्रहवां तल, डीएलएफ गैलेरिया कमर्शियल कॉम्पलैक्स, डीएलएफ सिटी फेज–IV, गुरुग्राम, हरियाणा 122009
Email ID: info@cpil.com, cs@cpil.com

31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु स्टैंडअलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन				
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31.03.2024 (अंकेक्षित)	31.12.2023 (अअंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)	31.03.2024 (अंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	21414.99	19926.80	20421.89	85483.12	73020.33
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	(161.76)	126.27	55.74	143.78	1076.78
3.	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद) मदें और/अथवा असाधारण मदें)/जेवी का लाभ अथवा हानि	(161.76)	126.27	55.74	143.78	1076.78
4.	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(151.09)	94.44	36.65	77.50	800.72
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	(150.02)	94.44	36.48	78.57	800.55
6.	इक्विटी शेयर कैपिटल	369.80	369.80	369.80	369.80	369.80
7.	रिजवर्स (पूर्ववर्ती वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-		-
8.	अर्जन प्रति शेयर (रु. 2 प्रत्येक के) (निरंतर प्रचालनों हेतु)					
	बेसिक :	(0.82)	0.51	0.20	0.42	4.33
	डायल्युटेड :	(0.82)	0.51	0.20	0.42	4.33

टिप्पणी :
1. उपरोक्त परिणाम सेबी (लिस्टिंग एवं अन्य घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के पास दायर किये गये 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिये अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन) के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। स्टैंडअलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजेज वेबसाइट अर्थात (www.bseindia.com) पर और कम्पनी की वेबसाइट (www.cpil.com) पर उपलब्ध हैं।
2. पूर्ववर्ती वर्षों/तैमाहिक आंकड़े जहां आवश्यक हुआ रिग्रुप्ड/रिअरेंज्ड कर लिये गये हैं।
3. 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु परिणाम कम्पनी मामलों का मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसार भारतीय लेखा मानकों (IND-AS) के अनुपालन में है।
4. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा की गई और 28 मई 2024 को आयोजित इसकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये और रिकार्ड पर लिये गये।

निदेशक मंडल की ओर से
चन्द्र प्रभु इंटरनेशनल लि.
हस्ता/–
गजराज जैन
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00049199

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 28 मई 2024

धन शोधन मामलाः जैन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में जमानत (डिफॉल्ट बेल) देने का अनुरोध करने वाली, जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब देने के लिए कहा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी को नोटिस जारी किया और उसे मामले पर एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जैन का रिकॉर्ड भी मांगा और मामले पर अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की। जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। उन्होंने निचली अदालत के 15 मई के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

हत्या मामले में वांछित उत्तर प्रदेश की इनामी महिला दिल्ली से गिरफ्तार

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने हत्या के एक मामले में वांछित 22 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी महिला की जानकारी देने वालों को 25,000 रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की थी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला कैली तंवर को सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के फतेहपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की निवासी है और दीपक अगरोला-कर्मवीर काला गिरोह की भी सदस्य है।

पुलिस के मुताबिक, तंवर उत्तर प्रदेश के लोनी पुलिस थाने में दर्ज

हत्या के एक मामले में वांछित थी और उसको गिरफ्तार करने में मदद करने वाले को 25,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया गया था। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि महिला यहां फतेहपुर के एक घर में रह रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके में छापा मारा और तंवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) अमित कौशिक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तंवर को सोमवार को फतेहपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। कौशिक ने कहा कि पूछताछ के दौरान महिला ने हत्या की बात कबूल कर ली। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उसने पुरानी दुश्मनी के चलते इस अपराध को अंजाम दिया था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला दीपक अगरोला-कर्मवीर काला गिरोह की सदस्य है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कैली की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। डीसीपी ने बताया कि इससे पहले तीन मई को इसी मामले में वांछित मोहम्मद फैजान को पुलिस की विशेष टीम ने एक छोटी-सी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

बिभव को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक अदालत ने मंगलवार को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोपी बिभव कुमार को तीन दिन के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया। बिभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास

पर 13 मई को आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। कुमार के वकील ने हिरासत में लेकर उनके मुवक्किल से पूछताछ करने की दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। सोमवार को, कुमार की जमानत याचिका एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का मालीवाल का कोई पूर्व-नियोजित इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को 'खारिज' नहीं किया जा सकता। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

MOHIT PAPER MILLS LIMITED
CIN : L21093DL1992PLC116600
पंजी. कार्यालय : 15ए/13, अपर ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
वर्क्स : 9 किमी. स्टोन, नगीना रोड, बिजनौर, उत्तर प्रदेश–246701
Phone: 011- 25886798
E-mail: Investorsmohitpaper@gmail.com, Website: www.mohitpaper.in

मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

(ईपीएस को छोड़कर रु. लाखों में)

वर्ष हेतु अंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम का सार	समाप्त तिमाही (31-03-2024) अंकेक्षित	समाप्त तिमाही (31-12-2023) अअंकेक्षित	समाप्त तिमाही (31-03-2023) अंकेक्षित	समाप्त वर्ष (31-03-2024) अंकेक्षित	समाप्त वर्ष (31-03-2023) अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	4755.03	5043.72	5884.96	19202.66	22,627.53
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	218.41	270.87	223.41	909.96	705.48
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पूर्व, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	218.41	270.87	223.41	909.96	705.48
कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	69.29	225.63	184.66	645.35	491.56
अवधि हेतु कुल व्यापक आय	69.29	225.63	184.66	645.35	491.56
इक्विटी शेयर कैपिटल (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर)	1400	1400	1400	1400	1400
इक्विटी शेयर कैपिटल की सं. (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रति इक्विटी शेयर)	140	140	140	140	140
रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	3052.36	0	2407.01	3052.36	2407.01
अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व और पश्चात) (रु. 10/- प्रत्येक के)					
बेसिक :	0.49	1.61	1.32	4.61	3.51
डायल्युटेड :	0.49	1.61	1.32	4.61	3.51

टिप्पणी :
1. कम्पनी के उपरोक्त परिणामों की समीक्षा कर ली गई और ऑडिट कमेटी द्वारा अनुशंसित कर दिये गये हैं तथा 28 मई 2024 को आयोजित इसकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। यह कम्पनी की वेबसाइट www.mohitpaper.in के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।
2. वित्तीय परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) नियमों, 2015 और कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) (संशोधित) नियमों, 2016, लागू योग्य तक, के नियम 3 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (दि 'एक्ट') की धारा 133 के तहत निर्धारित IND AS हैं और भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा लागू अनुसार और जारी दिशा-निर्देशों, भारतीय लेखा मानकों ('IND AS') के अनुरूप तैयार किये गये हैं।
3. 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही हेतु अंकेक्षित वित्तीय आंकड़े, क्रमशः दिसम्बर 2023 को समाप्त पूर्ववर्ती तिमाही हेतु अअंकेक्षित वित्तीय आंकड़े और पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात 31 मार्च 2023 में समाप्त अनुकूल तिमाही हेतु अंकेक्षित वित्तीय आंकड़े और समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 क्रमशः हेतु अंकेक्षित वित्तीय विवरण कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक द्वारा जारी अंकेक्षण रिपोर्ट के अधीन थे।
4. पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़े वर्तमान आंकड़े के साथ उनको तुलनायोग्य बनाने के लिये जहां आवश्यक हुआ, रिग्रुप्ड / रिअरेंज्ड कर लिये गये हैं।

कृते व मोहित पेपर मिल्स लिमिटेड की ओर से
हस्ता/–
संदीप जैन
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन : 00458048)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.05.2024

मानहानि के मामले में आतिशी को किया तलब

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक भाजपा नेता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में तलब करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने दावा मानहानि कारक है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को भाजपा में शामिल होने के लिए धन की पेशकश की गई थी। हालांकि, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आप नेता आतिशी को तलब करते हुए कहा कि 'प्रथम

दृष्टया' इस विषय में उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। न्यायाधीश ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को अदालत के समक्ष 29 जून को पेश होने का निर्देश दिया। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने केजरीवाल और आतिशी के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ एक मामला दायर किया था। दोनों नेताओं ने आप के विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगाया था। न्यायाधीश ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों, शिकायतकर्ता के गवाहों के बयानों, रिकॉर्ड में जमा किये गए साक्ष्यों पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपी संख्या - 1 (आतिशी) ने आपत्तिजनक बयान दिये थे...। उन्होंने कहा कि साथ ही, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आतिशी के अपमानजनक बयान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/सोशल मीडिया में पर्याप्त रूप से प्रसारित हुए...। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा लगता है कि आतिशी ने अपने शब्दों और उसके भावार्थों के जरिये अपमानजनक आरोप लगाये, जिसने प्रथम दृष्टया समाज के एक वर्ग के लोगों के बीच शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा घटाई।

श्रद्धा हत्याकांडः दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया पूरक आरोपपत्र

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने अपनी 'लिव-इन पार्टनर' श्रद्धा वालकर की हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ और अधिक डिजिटल तथा फॉरेंसिक सबूतों के साथ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। अदालत के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष करीब 3,000 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया गया। पूनावाला ने मई 2022 में राष्ट्रीय राजधानी के महरौली में वालकर की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव के टुकड़े-टुकड़े कर उन्हें शहर के अलग-अलग इलाकों में फेंक दिया था।

यात्रियों को आपातकालीन निकास द्वार से निकाला

दिल्ली से वाराणसी के लिए उड़ान भरने को तैयार विमान में बम होने की सूचना अफवाह निकली

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मंगलवार सुबह वाराणसी के लिए उड़ान भरने को तैयार 'इंडिगो' की एक उड़ान में बम होने की धमकी मिली, लेकिन विमान की तलाशी लिए जाने के बाद सूचना अफवाह निकली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि चालक दल के सभी कर्मियों और 176 यात्रियों को विमान के आपातकालीन द्वारों से बाहर निकालकर उसमें तलाशी अभियान चलाया गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में यह देखा जा सकता है कि पायलट आपातकालीन 'स्लाइड' का उपयोग कर विमान से बाहर आ रहा है। एक अन्य वीडियो में, एक

बुजुर्ग यात्री को चालक दल के एक सदस्य की मदद से विमान से आपातकालीन द्वार के जरिये बाहर आते देखा जा सकता है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सुबह करीब पांच बजे, वाराणसी के लिए उड़ान भरने वाले इंडिगो के एक विमान के शौचालय में एक कागज मिलने की सूचना मिली। इस पर लिखा था बम-सुबह साढ़े पांच बजे। अधिकारी ने बताया कि विमान की गहन तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बम होने की धमकी अफवाह निकली। आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जब 'इंडिगो' की उड़ान संख्या 6ई2211 को रवाना करने की तैयारी की जा रही थी तभी पायलट को एक शौचालय में कागज का एक टुकड़ा मिला, जिस पर बम होने की धमकी लिखी थी। उन्होंने बताया कि विमान चालक ने नियंत्रण कक्ष को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। 'इंडिगो' के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया गया और हवाई अड्डा सुरक्षा एजेंसियों के दिशानिर्देशों के अनुसार विमान को हवाई अड्डे के एक दूरस्थ स्थान पर ले जाया गया। प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों को आपातकालीन निकास द्वार के जरिए विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बयान में कहा गया है कि वाराणसी के लिए उड़ान पूर्वाह्न 11 बजकर 10 मिनट पर रवाना हुई। हमें यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है।

हिन्दुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : 426, डीएलएफ टावर-ए, जसोला, नई दिल्ली–110025
www.hindustantin.biz
Contact No. : 011-49998888, Fax : 011-49998822

पर्यावरणानुकूल भविष्य बनाते हुए

SCRIP CODE : 530315
CIN: L27109DL1958PLC003006
(रु. लाखों में)

31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
	31.03.2024 (अंकेक्षित)	31.12.2023 (अअंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)	31.03.2024 (अंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)
प्रचालनों से कुल आय	8,777.14	9,803.90	8,105.42	41,935.36	46,462.08
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	193.40	715.34	314.16	2,304.12	2,286.43
कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	193.40	715.34	314.16	2,304.12	2,286.43
कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	302.44	532.28	400.43	1,704.11	1,649.64
अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) निहित (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	313.02	537.51	(96.91)	1,693.30	1,173.67
इक्विटी शेयर कैपिटल	1,039.97	1,039.97	1,039.97	1,039.97	1,039.97
पुनर्मूल्यांकन रिजर्व्स को छोड़कर रिजर्व्स					17,881.53
अर्जन प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (निरंतर और अनिरंतर प्रचालनों हेतु) (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. में)					
बेसिक	3.01	5.17	(0.93)	16.28	11.29
डायल्युटेड	3.01	5.17	(0.93)	16.28	11.29

टिप्पणी :
1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई और 28 मई 2024 को आयोजित उनकी सम्बन्धित बैठकों में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।
2. उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के पास दायर किये गये तैमाहिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। तैमाहिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.hindustantin.biz पर उपलब्ध हैं।
3. IND AS 109 के अनुसार, कम्पनी अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज इसके निवेशों (एफवीटीओसीआई) का मूल्यांकन कर चुकी है। श्री उत्तम स्टील एंड पावर लिमिटेड में निवेश के उचित मूल्य को रु. 651.00 प्रति शेयर के पूर्ववर्ती दर्ज उचित मूल्य से एक वृद्धि को दर्शाते हुये, रु. 659.42 प्रति शेयर पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकित किया गया है।
4. बोर्ड 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु रु. 10/- प्रत्येक के प्रत्यक्ष मूल्य के रु. 1.20 (12%) प्रति इक्विटी शेयर के एक अन्तिम लाभांश की अनुशंसा कर चुका है जो कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई 2024

सैकड़ों उत्पाद ... एक कैन!

संजय भाटिया
प्रबंध निदेशक

Delhi Faces Water Crisis: Minister Atishi Blames Haryana, Initiates Measures

■ *Delhi is currently going through acute heat waves and Haryana is releasing very less amount of water, so it is responsibility of all Delhiites that we come together and solve this problem: Atishi*

Staff Reporter
New Delhi

Water Minister Atishi on Tuesday accused Haryana of not releasing Delhi's share of water since May 1 and said the government will be implementing a slew of measures including rationalising supply of water in the national capital.

Addressing a press conference, Atishi said many areas in Delhi are grappling with water shortage and appealed to people to use water judiciously. She also warned that if people do not heed this appeal, the government may have to impose challan for excess use of water in coming days.

She said that the Delhi government is constantly talking to Haryana about the issue and if it is not resolved in the next couple of days, it may approach the Supreme Court over the matter.

"Haryana has stopped release of Delhi's share of water. The water level at Wazirabad was 674.5 feet on May 1. This is the average level that should be maintained. Last year in April, May, and June, the minimum level was maintained at 674.5 feet," Atishi said.

Sharing data, the minister said till May 8, the water level at Wazirabad came down to 672 feet and by May 20 it was at 671 feet and on Tuesday, it declined further to 669.8 feet.

"The borewells that were earlier working six to seven hours have been functional for 14 hours. We have also increased the number of water tankers. Starting today, we are reducing water supply in those areas where it is supplied twice a day to once a day. The rationalised water will be supplied to areas grappling with water crisis," she added.

Atishi also appealed to people not to wash vehicles with water pipes.

"We may have to issue challans for excess use of water if people do not heed to this public appeal. Misuse of water is highly irresponsible," she said.

NEWS IN BRIEF

Audi car involved in hit-and-run case, recovered

Noida

An Audi car that ran over an elderly man on last Sunday morning in sector 53, was recovered by the police station sector 24 from Delhi on Tuesday.

The accused driver had parked the said car in a parking lot and fled away. The recovered car is registered in the name of an auto industries company. The police claims that now the accused driver will be arrested soon.

Several teams of the Noida Police were busy searching for the said car since Sunday morning. The police reached Delhi after checking hundreds of CCTV cameras installed on the Noida to Delhi route.

The Noida Police started investigation there with the help of Delhi Police. After this, the Audi car was recovered from a parking lot on Tuesday. Sources have revealed that the Audi owner lives in Gurugram. He has an auto industries company.

During police interrogation, the said car owner told that he had given the car to his nephew. Nephew also works in his company. The nephew has hired a driver for the car. The incident was carried out by the same driver. The accused driver is absconding since the incident.

Protest after Parshuram statue vandalised

Noida

Villagers staged protest on Tuesday here at Gulawati Khurd village of Jarcha area as some unidentified people damaged the statue of lord Parshuram.

They calmed down only when the local police assured them to arrest the accused soon. On Tuesday, the police was informed about the damage to the statue. Hearing the news of the statue being broken, hundreds of villagers reached the spot.

Dadri Nagarpalika chairperson Geeta Pandit also reached the spot with her supporters. The villagers protested over the breaking of the statue. They were of the view that such an act has been done to hurt public the sentiments, which is not acceptable in the society.

NCC cadets mountaineering expedition flagged off

Staff Reporter
New Delhi

The National Cadet Corps (NCC) boys and girls mountaineering expedition to Mount Kang Yatse-II peak was flagged off by DG NCC Lt Gen Gurbirpal Singh from New Delhi on May 28, 2024.

The peak is located in the Ladakh region at an altitude of 6,250m/20,505ft, and this is the 87th NCC Cadets mountaineering expedition since 1970.

The team comprises five officers, 17 permanent instructors and 24 cadets (12 boys & 12 girls) from various NCC directorates. The team will attempt to scale Mt Kang Yatse-II by the end of June 2024.

The DG NCC wished success to the team and highlighted the pivotal role of the NCC in youth development and the opportunities provided to the cadets to engage in diverse adventure activities.

He encouraged the cadets to face the expedition's challenges with composure, courage, professionalism and an indomitable spirit.

Wanted 'lady don' Kaili Tanwar arrested by Delhi Police spl cell

Staff Reporter
New Delhi

A 22-year-old alleged 'lady don', also a member of Deepak Agrola and Karamveer Kaala gang, was arrested from Fatehpur area in the national capital, said a Delhi Police's Special Cell official on Tuesday.

The accused was identified as Kaili Tanwar, a resident of Ghaziabad district in Uttar Pradesh and was also carrying a reward of Rs 25,000 on her head.

According to police, specific input was received regarding one Kaili Tanwar, who was wanted in a murder case in Loni police station and living in the area of village Mandi, was going to be near the bus stand in Fatehpur, Delhi.

"On the basis of the above said information she was apprehended from the Fatehpur area on Monday," said Deputy Commissioner of Police (Special Cell) Amit Kaushik.

During interrogation, she disclosed her involvement in the murder case and subsequently was arrested in Kalandra under section 41.1 (ba) Cr.P.C. and produced before the court.

The officer said that an old rivalry between two groups in Loni led to the murder.

"The accused of this murder belongs to Deepak Agrola and Karamveer Kaala gang. UP Police had declared a reward of 25,000/- on the arrest of Kaili," said the officer.

"Earlier on May 3, Md. Faijan a.k.a Nanhe, who was also wanted in the same case was also arrested by the team of Special Cell after a brief exchange of fire," the DCP added.

Spl cell nab Owner & supplier of illegal drug manufacturing unit in UP

Abhishek Byahut
New Delhi

Trans Yamuna Range of the special cell of Delhi police have arrested the owner an illegal manufacturing factory of psychotropic substance 'Alprazolam' that was busted by the special cell on May 7 in Uttar Pradesh's Amroha, said the police on Tuesday.

Police have also arrested one more supplier of this drugs syndicate, they said.

The accused have been identified as Sanjay Kumar Sharma (42), a resident of district Bijnor who owns the illegal drug factory. Rajvir alias Rajiv Kumar (38), a resident of Baghpat district in Uttar Pradesh. Rajvir was a supplier of raw materials used for making Alprazolam, police said.

According to the police, on April 25, a team of TYR/Special Cell led by Inspector Rahul Kumar and Vineet Kumar Tewatia, Sub-inspector Deepak Bhargav under supervision ACP Kailash Singh Bisht had busted an inter-state psychotropic substance supply cartel, arresting three individuals: Namit Chaudhary, Rachit and Vanga Rajendra Goud.

During the probe, it was revealed that the mastermind of this syndicate set up an illegal factory for manufacturing the psychotropic substance Alprazolam near Tapkeshwar Temple, in Village Salempur Gousai, Gajraula in UP's Amroha.

"A search of the factory was conducted by the above police team in the presence of local police and officials from the Amroha drugs department, resulted in the recovery of a large number of raw materials used for manufacturing Alprazolam, totaling 1570 kg (1170 kg of salt and 400 litres of chemicals)," said Deputy Commissioner of Police (Special Cell) Amit Kaushik.

The DCP said that this factory was operating illegally and was fully equipped for the production of Alprazolam.

The factory was seized, but the owner and the supplier of the raw materials were at large.

"During further investigation, the above police team traced out the absconding owner of the factory, identified as Sanjay who was arrested on May 14 from Uttar Pradesh. He did not possess any licence from the drug department for the manufacturing of any medicine or Alprazolam," said the DCP.

Based on information provided by Sanjay, two mobile phones used to contact his associates and run the cartel were seized from his house.

"Subsequently, at his instance, raw material supplier Rajvir was arrested on May 18," the DCP added.

Delhi Gov Proposes Strict Fire Safety & Heatwave Measures

New Delhi

The Delhi government has directed factories, shops and construction sites to ensure all firefighting equipment is functional and there are no obstacles on staircases.

The directions from the labour department of the city government come in the aftermath of a blaze at a private neonatal hospital that claimed the lives of six newborns.

The circular issued by the department on May 27 asked all district in-charges to ensure that all establishments, factories, shops and construction sites in their respective jurisdiction have fire-fighting equipment such as fire extinguishers, sand buckets and fire alarms in working condition.

Fire extinguishers dealing with electric fire and sand buckets filled with dry sand shall be kept at conspicuous places, it said.

"Flammable items such as chemicals, solvents etc, should be kept in an isolated cool place and handled by authorised persons. Staircases should be free from any obstacle," it said.

It also cited the various measures needed in view of the heatwave conditions prevailing in the national capital.

The directions from the labour department of the city government come in the aftermath of a blaze at a private neonatal hospital that claimed the lives of six newborns.

The circular asked establishments to ensure adequate clean drinking water availability at the workplace, availability of coolers/fans at the workplace and proper ventilation.

The circular also said no worker should be allowed to work in direct exposure to sunlight, and advised a change in the shift of work as far as possible so as to avoid peak hours between 12 noon to 4 pm.

"Sensitising/imparting training to the workers/employees about the precautions to be taken during the heatwave conditions including covering their head during direct exposure to sunlight etc.

"Make emergency kit (Ice packs, ORS, etc.) for the construction workers/employees," it said.

The circular said there shall be no joints in the electric wires/cables installed as far as possible and all non-current carrying metallic parts and the metallic frames of the electrical appliances or equipment shall be properly earthed.

Political Showdown: AAP vs BJP Amid Defamation Case

New Delhi

A war of word erupted between AAP and BJP on Tuesday after a city court summoned Delhi minister Atishi in a defamation case on May 29 over her poaching charge against the saffron party, with Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal alleging there was a plan to arrest her.

The BJP hit back at Kejriwal and Atishi, claiming their "lies" will be exposed in the court.

A defiant Atishi said in a press conference that "Operation Lotus" was a well-known tactic of the BJP and questioned how the party managed to form governments in many states without having a majority.

The Rouse Avenue court earlier in the day summoned Atishi on Wednesday in connection with the criminal defamation case filed by Delhi BJP leader Praveen Shankar Kapoor. However, it refused to summon the Delhi chief minister in the matter.

Additional Chief Metropolitan Magistrate Tanya Bamniyal, summoned Atishi saying "prima facie" there was sufficient evidence against her in the matter.

Delhi Court to Decide Kejriwal's Fate in Excise Scam Case

New Delhi

Delhi court on Tuesday reserved for June 4 its order on whether to take cognisance of the Enforcement Directorate's supplementary charge sheet against Chief Minister Arvind Kejriwal in the money laundering case linked to the alleged excise scam.

The court will also decide whether to take note of the alleged offence against the Aam Aadmi Party (AAP), the first political party which has been booked under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) by the ED.

The supplementary charge sheet has also claimed that bribes were received even from Punjab businessmen to allow them to invest in liquor trade in the national capital.

The Enforcement Directorate has claimed those businessmen from Punjab, also ruled by the AAP, who did not pay up, were forced out of their ventures in the neighbouring state.

Special Judge Kaveri Baweja reserved the order after hearing the arguments advanced by the ED, which claimed it has sufficient evidence to prosecute Kejriwal in the case.

The federal anti-money laundering agency told the court that Kejriwal, the national convenor of AAP, and the party were inextricably linked to the alleged scam.

Arvind Kejriwal is the "kingpin and key conspirator" of the scam, which also involves other AAP leaders and private individuals, the ED has alleged.

It has alleged that Kejriwal was actively linked to the proceeds of crime, including using it for the AAP's campaign for the Goa assembly elections in 2022.

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the general public that my clients Sh. Surender Kumar Jain and Smt. Anita Jain wife of Sh. Surender Kumar Jain and R/o: C-22, Shakti Nagar Extension, Delhi-110052 has disowned and debarred their son MR. ANKUR JAIN and his wife MRS. ADITI JAIN from all their movable and immovable properties and assets, present and to be acquired in future by them, "due to their misconduct" w.e.f today and they shall not be responsible for any act or omission of Mr. Ankur Jain s/o: Sh. Surender Kumar Jain and his wife Mrs. Aditi Jain w/o: Mr. Ankur Jain. That any person dealing with them shall do so entirely at their own risk and responsibility and my clients shall not be responsible for the same in any manner whatsoever.

ANKIT SHARMA & ASSOCIATES
ADVOCATES
Chamber no.731, western wing, Tis Hazari courts Delhi

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Rajender Kohli S/o Vishal Singh R/o A-1/142, Inderpuri, Delhi has disowned/debarred his son namely Rahul Kohli aged about 34 years and daughter-in-law namely Nisha Bharti from his entire movable and immovable properties and other assets and has severed all family relations with them by all means/way due to their misconduct, unreasonable and disrespectfully behaviour towards my client. If anybody deals with them, he/she will do so at their own risks, costs and consequences, my client will not be held responsible for any of them acts and deeds, in any manner for the same.

SHAMBHU KUMAR
Advocate
Delhi High Court
Ch. No. X-16-A, Civil Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Sh. Naresh Pal, S/o Shibbu, R/o H. No. 246/63, East School Block, Mandawali, Delhi-110092 has debarred and disowned his son namely Suraj and his wife namely Ms. Roshani@ Rinki from his moveable and immoveable properties due to their disobedience, misconduct, misbehaviour, quarrelsome nature and being out of control. My client has also severed all his relation with them if anyone dals with them, he/she/they will do So at his/her/their own risks cost and consequences. My client shall not be responsible in any manner whatsoever for the same and shall have no liability and responsibility in future.

MANOJ SHARMA
Advocate
M.COM. LL. B
DELHI HIGH COURT
Ch. No. 344, Western Wing Tis Hazari Courts. Delhi-110054

MOHIT PAPER MILLS LIMITED

CIN : L21093DL1992PLC116600
Regd. office: 15A/13, Upper Ground Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008
Works: 9km. Stone, Nagina Road, Bijnor, Uttar Pradesh- 246701
Phone: 011- 25886798
E-mail: investorsmohitpaper@gmail.com, Website: www.mohitpaper.in

AUDITED FINANCIALS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 2024

(Rs. In Lacs except EPS)

EXTRACT OF THE AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE YEAR	Quarter ended (31-03-2024) Audited	Quarter ended (31-12-2023) Unaudited	Quarter ended (31-03-2023) Audited	Year ended (31-03-2024) Audited	Year ended (31-03-2023) Audited
Total income from operations (Net)	4755.03	5043.72	5884.96	19202.66	22,627.53
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	218.41	270.87	223.41	909.96	705.48
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	218.41	270.87	223.41	909.96	705.48
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	69.29	225.63	184.66	645.35	491.56
Total Comprehensive income for the period	69.29	225.63	184.66	645.35	491.56
Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	1400	1400	1400	1400	1400
No. of Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per equity share	140	140	140	140	140
Reserve (exclude Revaluation Reserve)	3052.36	0	2407.01	3052.36	2407.01
Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (of Rs. 10/-each)					
Basic :	0.49	1.61	1.32	4.61	3.51
Diluted	0.49	1.61	1.32	4.61	3.51

Notes:

1. The above results of the Company have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 28, 2024. It will be also available on the company's website www.mohitpaper.in as well as on the stoke exchange's www.bseindia.com.
2. The financial results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("IND AS"), as applicable and guidelines issued by the Securities and Exchange board of India ("SEBI"), and the IND AS are prescribed under the section 133 of the Companies Act, 2013 (the "ACT") read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) (Amended) Rules, 2016, to the extent applicable.
3. The audited financials figures for the quarter ended March 31, 2024, respectively unaudited financials for the previous quarter ended December, 2023 and audited financials for the corresponding quarter ended in the previous year i.e. March 31, 2023 and audited financial statement for the year ended March 31, 2024 and March 31, 2023 respectively which were subjected to Auditor Report issued by the statutory auditor of the Company.
4. Figures for the previous period have been regrouped/ rearranged wherever necessary to make them comparable with the current figure.

For and on behalf of Mohit Paper Mills Limited
Sd/-
Sandeep Jain
(Managing Director)
(DIN-00458048)

Place: New Delhi
Date: 28/05/2024